छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था

डॉ. अमन झा

सहायक प्राध्यापक

राजनिति विज्ञान विभाग

दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सामान्य परिचय :–

प्राचीन काल मे (छ.ग.) छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल कहलाता था। संभवतः इस क्षेत्र मे उत्तम गुणवत्ता के शिक्षा की प्रचुरता के कारण इसे कोसल संज्ञा प्राप्त हुई कोसा आज भी छत्तीसगढ़ की पहचान है।

ऐतिहासिक काल मे यह सर्वप्रथम मौर्य, फिर सातवाहन गुप्त वाकाटम साम्प्रज्यो का अंग रहा। वाकाटम के बाद सोमवंशीयो का साम्प्रज्य रहा तथा सोमवंशीया का सामाज्य साम्प्रज्य रहा तथा सामवशाया क तथा सोमवंशीयो के पतन पश्चात कल्चुरि यहा के अधिपति बने। 16वीं शताब्दी पति बने। 16वीं शताब्दी तक कल्चुरियो की सत्ता क्षक्षीण होने पर मराठा शासन रहा। सन् 1741 ई. मे मराठा शासन का अंग बना । दक्षिण कोसल मे सम्भवतः मराठा काल मे गढी की संख्या से छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा इस प्रकार छत्तीसगढ़ अधिकतम तीन वर्षो से अधिक प्राचीन नहीं है मराठो के पश्चात सन् 1854–455 ई. मे छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया।

छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण :–

सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना विद्धवान साहित्यकार स्वतंत्रता सेनानी पं. सुन्दरलाल शर्मा ने 1918 में की। आजादी के बाद सन् 1956 मे यह मध्यप्रदेश राज्य का अंग बना दिया गया इसके बाद यहा की भौगोलिक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परिस्थिति की भिन्नता एवं शोषण के कारण छत्तीसगढ़ राज्य की मांग प्रबल होती गयी।

18 मार्च 1994 को साजा (दुर्ग) से कांग्रेस विधायक द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा मे पृथक छत्तीसगढ़ राज्स बनाए जाने की दिशा मे अशासकीय संकल प्रस्तुत किया गया जो सर्वसम्मति से वारित हुआ इसके पश्चात 25 मार्च 1998 को लोकसभा चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनो मे संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण मे छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कार्यवाही शुरू करने के संबंध मे प्रतिबद्धता सम्य की। इसके बाद 1 मई 1998 को मध्यप्रदेश विधान सभा ने शायकीय संकल्प पारित किया। ये दोनो घटनाए छत्तीसगढ़ राज्य नियोजन की दिशा मे महत्वपूर्ण एवं मार्ग प्रशस्त करने वाली थी ।

1 सितम्बर 1998 को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे मध्यप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में लगभग 40 संशाधनो के साथ वापस राष्टपति को भेजा अब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण केन्द्र सरकार का काय रह गया था अतः 25 जुलाई 2000 को केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा लोकसभा मे छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया जो 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ । 9 अगस्त 2000 को राज्य सभा भी एक संशोधन (छ.ग. राज्य सभा की सीटो से संबोधित) के साथ पारित हो गया इस प्रकार इस संशांधन को लोकसभा ने उसी दिन स्वीकार कर लिया। 28 अगस्त 2000 को भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह मध्यप्रदेश पुनर्गठन

अधिनियम 2000 बन गया जो भारत के राजपत्र से अधिनियम संख्या 28 के रूप मे अधिसूचित हुआ। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप निर्धारित तिथी 1 नवम्बर सन् 2000 को मध्यप्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ देश का (भारत संघ का) 26 वां राज्य बना।

छत्तीसगढ़ निर्माण के समया यहा 16 जिले, 146 विकासखण्ड जनपद पंचायत तथा 98 तहसील एवं 9820 ग्राम पचायते थी। उस समय छ.ग. की जनसंख्या दो करोड़ थी। वर्तमान समय मे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.25 करोड़ है। छत्तीसगढ़ 27 जिलो 146 जनपदो और 109.71 ग्राम पंचायते विद्यमान है।

छत्तीसगढ़ मे पंचायती राज व्यवस्था :– छत्तीसगढ़ राज्य मे पंचायत राज व्यवस्था राज्य बनने के पूर्व अविभाजित मध्यप्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था है उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य मे भी त्रि. स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को अपना है ये स्तर है।

1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत–

2. ब्लाक या जनपद स्तर पर जनपद पंचायत–

3. जिला स्तर पर जिला पंचायत –

1. ग्राम पंचायत :– छत्तीसगढ़ मे 1 नवम्बर 2000 की स्थिति मे 9820 ग्राम पंचायते थीं वर्तमान मे वृद्धि हुई है क्योकि गावो की जनसंख्या वृद्धि होने के कारण उन ग्रामो को पंचायत का दर्जा दिया गया वर्तमान मे जनवरी 2016 की स्थिति में 10971 ग्राम पंचायते है। ग्राम पंचायतो मे दो या तीन ग्रामो से मिलकर एक ग्राम पंचायत का गठन करते है। ये ग्राम अपनी अबादी व मतदाता के आधार पर वार्डो

मे बटे रहते है ओर उन वार्डो के मतदाता के आधार पर वार्डो के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनते है जिनको पंच कहा जाता है। और ग्राम पंचायत के सभी मतदाता निर्वाचन के द्वारा अपना सरपंच चुनते है। इन पंच तथा सरपंचो का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार की निगरनी मे संविधान के अनुसार होता है। सरपंच को ग्राम का मुखिया कहा जाता है वह अपने गांव का प्रतिनिधित्व करतात है तथा सरकार की सभी योजनाओ को लागू कराता है। अपने ग्राम पंचायत की समस्याओ को सरकार को अवगत कराता है और गांव का विकास की जिम्मेदारी सरपंच द्वारा होता है।

ग्राम पंचायत मे सरंपच के सहयोग के लिए सरकार द्वारा (सचिव) पंचायत सचिव नियुक्ति किया जाता है। जो ग्राम पंचायत में बैठको का आयोजन करता है तथा सरकार की योजनाओ की जानकारी सरपंच को देता है जिससे गांव एवं ग्रामीणो का विकास हो ।

ग्राम सभा :– ग्राम सभा हर गांव मे होती है। गांव के सभी मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची मे पंजीकृत है सभी इसके सदस्य होते है। ग्राम सभा की मूल धारणा सहभागितापूर्ण लोकतंत्र का है। ग्राम सभा को ग्रामीण लोगो की संसद भी कह सकते है। छत्तीसगढ़ मे वर्ष मे बार विशेष ग्राम सभा मे का आयोजन होना अनिवार्य रहता है ग्राम सभा स्थानीय लोगो को मंच देता है

1993 ग्राम सभा के लिए विशेष शक्तिया देता है। ग्राम सभा ग्रामीणो के विकास व समस्याओं के निदान के लिए प्रस्ताव स्वीकृत करता है। और ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यो को सम्पन्न कराता है।

2. जनपद पंचायत :– छत्तीसगढ़ राज्य मे पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर (ब्लाक पंचायत) जनपद पंचायत है। जनपद पंचायत के समदस्यो का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। 4–5 ग्राम पंचायतो (45) को मिलाकर एक जनपद सदस्य का चुनाव होता है। चुनाव मे सभी वर्गो के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू होती है। जनपद सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के पश्चात चुने हुए सदस्यो द्वारा अपने मे से ही एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते है ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मिलकर जनपद स्तर पर अपने अपने क्षेत्रो की समस्याओ को सरकार तक पहुचाते है और ग्रामीण विकास कार्यो एवं योजनाओ को लागू कराते है ।

जनपद स्तर पर बैठको एवं योजनाओ को कियान्वित कराने हेतु जनपद स्तर पर सरकार द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इनके सदस्यगण सी.ई.ओ. के मार्गदर्शन मे पंचायत स्तर की सभी कार्यो को सम्पन्न कराते है। जनपद का उच्च अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है। इनके सहयोग के लिए जनपद स्तर पर सरकार द्वारा अनेक और पंचायत पदाधिकारियो की नियुक्ति की जाती है। पंचायत के ये अधिकारीगण ग्राम एवं जनपद के कार्यों एवं योजनाओ को कार्यान्वित करते है। छत्तीसगढ़ मे कुल 146 जनपद पंचायत है जो छत्तीसगढ़ मे ग्रामीण विकास एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में सहायता देते है।

3. जिला पंचायत :– छत्तीसगढ़ राज्य मे वर्तमान मे 27 जिला पंचायते कार्यरत है। ये पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर और अंतिम तथा मुख्य कड़ी है। ग्रामीण विकास संबंधी जो शक्तिया व कार्य ग्राम व जनपद पंचायतो द्वारा नही होता वह कार्य जिला पंचायत मे सम्पन्न होता है। जिला पंचायत के सदस्यो का निर्वाचन

प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। सदस्यों के निर्वाचन के बाद सदस्यो द्वारा अपने मे से ही एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जिला पंचायत अनेक ग्राम पंचायतो द्वारा मिलकर एक–एक क्षेत्र बनता है और ये निर्वाचन क्षेत्र जिला सदस्य क्षेत्र कमांक के नाम से जान जाता है।

जनपद पंचायत की तरह जिला पंचायत के सबसे बड़े अधिकारी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहते है इस अधिकारी का नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है जो जिला सी.ई.ओ. के नियंत्रण मे और अनेक जिला पदाधिकारीगण कार्य करते है। सभी पदाधिकारीगण सरकार की योजनाओ व विकास कार्यो मे जिला पंचायत सदस्यो की सहायता करता है।

इस प्रकार तीनो स्तर की पंचायतो मे निर्वाचित सदस्यो एवं पंचायत पदाधिकारीयो द्वारा मिलजुलकर सरकार की नीतियो एवं योजनाओ को कियान्वित किया जाता है। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था द्वारा अपनी स्थानीय समस्याओ को सरकार तक पहुचाने एवं उसका शीघ्रता से समाधान किया जाता है। छत्तीसगढ़ मे पंचायती राज व्यवस्था के लागू होने से अनेक स्थानीय समस्याओ का निदान हुआ है और ग्रामीण विकास कार्यो की प्रगति हुई है।